

## TENDER PORTION

दूरभाष : 01437-220177  
फैक्स नं. 91-01437-220163



### केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अविकानगर, तह0 मालपुरा, जिला-टोंक (राजस्थान) – 304501 **Central Sheep & Wool Research Institute** Avikanagar, Teh.Malpura, Dist.Tonk (Rajasthan) – 304501



क्रमांक: 6(304)एसपी / 2014 /

दिनांक: 28.03.2014

To

M/s.....  
.....  
.....  
.....

#### **SUB: INVITATION OF TENDER AND INSTRUCTION TO TENDERERS.**

Dear Sir(s),

I invite you to tender for the supply of the stores/items detailed in schedule. The conditions of contract, which will govern contract made are those contained in the general conditions of contract applicable to the contract placed by the Indian council of Agricultural Research and the Research institute under it and the special conditions detailed in tender form and those attached herewith. If you are in a position to quote for supply in accordance with requirements stated in the attached schedule. please submit your offer to this office on the prescribed tender attached.

2. **EARNEST MONEY:** Earnest Money of Rs. .... (Rs. ....only) must be deposited either in the shape of Demand Draft or T.D.R. in favour of "I.C.A.R. Unit C.S.W.R.I. Avikanagar" drawn on S.B.B.J.. Malpura (10088) District Tonk (Rajasthan).

THE TENDER MAY NOT BE CONSIDERED IF THE EARNEST MONEY RECEIPT IS NOT SENT ALONGWITH THE TENDER. NO REQUEST FOR TRANSFER OF ANY PREVIOUS DEPOSIT OF EARNEST MONEY WILL BE ENTERTAINED.

It is understood that the tender document has been issued to the tenderer and the tenderer is being permitted to tender in consideration of the stipulation on his part that after submitting his tender he will not resile from his offer or modify the tender and conditions thereof. Should the tenderer fail to observe/comply with the foregoing stipulation. the aforesaid amount will be forfeited to the "Indian Council of Agricultural Research." In the event of the offer made by the tenderer not being accepted the amount of earnest money deposited by the tenderer will be refunded to him after he has applied for the same in the manner prescribed by the Indian Council of Agricultural Research.

The Earnest Money should not on any account fall short of the amount actually required.

3. The schedule to the tender form should be returned intact whether you are quoting any item or not.
4. **SIGNING OF TENDER:**
  - (a) The tender is liable to be ignored if complete information is not given therein or if the particulars and date, if any, asked for in the schedule to the tender are not fully filled in. Specific attention must be paid to delivery dated and also to the general conditions of the contract would be governed by them.
  - (b) Individual signing the tender or other documents connected with the contract must specify whether he signs as:
    - (i) A sole proprietor of the firm or constitute attorney of such sole proprietor.
    - (ii) A partner of the firm if it be a partnership, in which case he must have authority to refer to arbitration dispute concerning the business of the partnership either by virtue of the partnership agreement or power of attorney.
    - (iii) Constituted attorney of the firm if it is a company.
    - (iv) Each page of the tender, schedule to tender and annexure, if any, should be signed by the tenderer.
5. **DELIVERY OF TENDER:** The original copy of the tender is to be enclosed in double cover. The inner cover should be sealed. All the covers should be subscribed with "Tender for (name of items) & due on.... Right is reserved to ignore any tender which fails to comply with the above instructions. All out station tenders should be sent by Registered Post. Only one tender should be included in a cove. All tenders enclosed in one cover will liable to be ignored.

6. **LAST HOUR FOR RECEIPT OF TENDERS:** Unless otherwise specified in the schedule to tender, your tender must reach this office not later than 1.00PM on the due date of opening of tenders. Tenders sent by hand delivery should be put in the tender box at this office not later than 1.00 PM. On the due date unless otherwise stipulated in the schedule to tender.
7. **PERIOD FOR WHICH THE OFFER WILL REMAIN OPEN:**
  - (i) Firms tendering should not that their offer should remain open for acceptance of 120 days from the date of opening of tender. If the firms are unable to keep their offer open for the specified period, they should specifically state in the tender form the period up to which they want their tender to remain open for acceptance. In the absence of such specification in the tender it will be assumed that their offer will remain open or acceptance for the period as specified in the schedule.
  - (ii) Quotation qualified by such vague and indefinite compression such as “subject to immediate acceptance” subject to prior sale” will not be accepted.
8. **OPENING OF TENDERS:** You are at liberty to be present or authorize your representative to be present at the opening of the tender at the time and date as specified in the schedule. The name and address of the representative who would be attending to opening of the tender on your behalf should be indicated in your tender. Please also state the name and address of your permanent representative, If any.
9. **PRICES.**
  - (1) The prices quoted must be net per unit shown in the schedule and must include all packing and delivery charges. Refunds on account of returnable packages (if any) are to be separately specified. Prices and reductions must be clearly shown in figures and words in Indian currency.
  - (2) The prices must be stated for each item separately. The percentage of reduction in the total price for entire demand should also be quoted, should and order to that extent be placed with you.
  - (3) If it is decided to ask for excise duty or any other charges as extra, the same must be specifically stated. In the absence of any such stipulation, it will be presumed that the prices include all such charges and no claim for the same will be entertained.
  - (4) The prices by the tenderer should be exclusive of Sale Tax (and should be clearly stated to be so) which be paid by the purchaser, if legally livable at the rate ruling on the date of supply as specified in the acceptance of tender. The rate of sales tax/CST/VAT etc. should be clearly mentioned in the offer.
10. **TERMS OF DELIVERY:** The delivery of stores is required by the date specified in the schedule to tender. If, however, it is not possible for you to effect delivery by the dates, you should specify the date by which you can guarantee delivery in the prescribed schedule to the tender.
11. **SAMPLES:** Tender samples are required duly sealed under cover only.

TENDER/QUOTATION WITHOUT SAMPLES WHEN SPECIFICALLY CALLED FOR ARE LIABLE TO BE IGNORED

12. **EXAMINATION OF PATTERN OF CERTIFIED SAMPLES:** When sealed pattern are mentioned in the schedule to the tender of specification. Certified sample thereof, may be seen at the place stated in the schedule to tender and should be examined by a competent person on your behalf (who should take this invitation with him) before the tender is submitted.
13. **PACKING:** Unless a method of packing is indicated in the specification or in the schedule to the tender for the method of packing which the contractor proposes to employ must be described in the schedule to tender form.
14. **RIGHT OF ACCEPTANCE:** The office does not pledge itself to accept the lowest or any tender and reserves itself the right of accepting the whole or any part of the tender or portion of the quantity offered and you, shall supply the same at the rates quoted. You are at liberty to tender for the whole or any portion or to state in the tender that the rate quoted shall apply only if the entire quantity is taken from you.
15. **COMMUNICATION OF ACCEPTANCE:** Express Telegram/Letter of acceptance or formal acceptance or tender will communicate acceptance by the purchaser. In the case where acceptance is communicated by telegram or express letter the formal acceptance of tender will be forwarded to you as early as possible but the instruction contained in the express telegram or letter should be acted upon immediately.
16. The purchaser reserves the right to place order on the successful tenderers for additional supply of the items at the rate quoted depending upon the performance/workmanship of the tenderer. Tenderers are bound to accept order for any additional quantity under this clause only if the order is placed with them within one year from the date of issue of acceptance of tenders.

17. In case a contract is placed on you as a result of this tender you should satisfy yourself that the stores are in accordance with the terms of contract and fully confirm to the required specification by carrying out thorough pre-inspection. Such pre-inspection on your part should minimize the chance of rejection in the inspection and the consequences thereof.
18. This contract will be valid and binding subject to compliance of concerned act/regulation of central or state, as may be applicable, by the tenderers.

Yours faithfully,

For and on behalf of the ICAR  
DIRECTOR  
CSWRI, AVIKANAGAR

Tender No.  
Contractor's Fax No.  
Address  
Telephone No.  
Code

From

To

The Director  
Central Sheep & Wool Research Institute, Avikanagar  
Teh. Malpura, Distt. Tonk (Rajasthan) – 304 501

Sir,

I/We hereby offer to supply the stores detailed in the schedule hereto or such portion thereof as you may specify in the acceptance of tender at the price given in the said schedule and agree to hold this offer open till 120 days. I/we shall be bound by a communication/acceptance dispatched within the prescribed time.

I/We have understood the instructions to tenderers and conditions of contract included in the general conditions of contracts governing such contracts placed by the Indian Council of Agricultural Research and Research Institutes under it and the special conditions of contract and have thoroughly examined the specification/drawing and/or pattern quoted in the schedule there to and am/are fully aware of the stores required and my/our offer is to supply stores strictly in accordance with the requirements.

The following pages have been added to and form part of this tender.

Yours faithfully

(Signature of Tenderer)

Name

Address

Dated

Signature of witness

Name

Address

Enclosures: As above.

केन्द्रीय भेड एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर  
तहसील-मालपुरा, जिला-टोंक, राजस्थान -304 501

क्रमांक: 6(304)एसपी / 2014 /

दिनांक: 28.03.2014

निविदा प्रपत्र

1. निविदा जमा कराने की अन्तिम तिथि : दिनांक 20.03.2014 दोपहर बाद 1.00 बजे तक
2. निविदा खोलने की अन्तिम तिथि : दिनांक 20.03.2014 दोपहर बाद 3.00 बजे से
3. अमानत राशि : 25000/- रुपये
4. निविदा की मान्य अवधि : 120 दिन
5. निविदा शुल्क : 1000/- रुपये व डाक द्वारा मंगवाने पर 1050/- रुपये

क्र.सं.	विवरण	भेड़ों/मेढ़ों की अनुमानित संख्या	दर प्रति भेड़/मेढ़ा, प्रति माह सभी करों एवं खर्चों सहित (अंको व शब्दों में)
1.	संस्थान के पशु शरीरक्रिया एवं जीव रसायन विभाग के अन्तर्गत सेक्टर नम्बर 9 व कच्चा बन्धा, पशु पोषण विभाग के अन्तर्गत सेक्टर 10 (कच्चा बन्धा) व पशु स्वास्थ्य विभाग की प्रयोगात्मक भेड़ों/मेढ़ों/मेमनों को चराने, सुरक्षा, देखभाल एवं प्रयोगात्मक कार्य में सहायता आदि कार्य का वार्षिक अनुबन्ध	1000	Rs. _____ रुपये _____

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने निविदा में दर्शायी गई सभी नियम व शर्तें भली-भाँति पढ़ली है तथा मुझे पूर्णरूप से स्वीकार है। मैं उपरोक्त दर्शायी गई दरों पर संस्थान के पशु शरीरक्रिया एवं जीव रसायन विभाग के अन्तर्गत सेक्टर नम्बर 9 व कच्चा बन्धा, पशु पोषण विभाग के अन्तर्गत सेक्टर 10 (कच्चा बन्धा) व पशु स्वास्थ्य विभाग की प्रयोगात्मक भेड़ों/मेढ़ों को चराने, सुरक्षा, देखभाल एवं प्रयोगात्मक कार्य में सहायता आदि से संबंधित कार्य को वार्षिक अनुबन्ध/ठेके के आधार पर सम्पन्न करवाने के क्रम में रेट कोन्ट्रैक्ट/जॉब कोन्ट्रैक्ट पर करने के लिये सहमत हूँ। साथ ही मैं यह वचन देता हूँ कि संस्थान द्वारा एक से अधिक कार्मिक चाहने पर उक्त दर्शायी गई दरों पर संस्थान को उपलब्ध करवाऊँगा तथा मैं सभी संबंधित विभागों के विभागाध्यक्ष या उनके प्रतिनिधि से समय-समय पर सम्पर्क करके उनके निर्देशानुसार अनुबन्ध कार्य करता रहूँगा। मैं अनुबन्ध कार्य में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करूँगा और संस्थान के अधिकारियों/कर्मचारियों से विनम्रता पूर्वक व्यवहार रखूँगा। यदि मेरे या प्रतिनिधियों द्वारा अनुबन्ध कार्य में किसी प्रकार का व्यवधान/हस्तक्षेप करने/या उनके द्वारा बताये जाने वाले कार्य को करने के लिये मना आदि करता हूँ तो मेरे द्वारा जमा करवाई जाने वाली अमानत/जमानत राशि को जब्त करके अनुबन्ध को निरस्त किया जा सकता है जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी। साथ ही मैं यह भी वचन देता हूँ कि मुझे व मेरे प्रतिनिधि को उपरोक्त निविदा प्रपत्र में दर्शाये गये कार्यों का पूर्ण ज्ञान है।

मैं यह भी वचन देता हूँ कि मैं भारत/राजस्थान सरकार के प्रचलित सभी श्रमिक नियमों का पूर्ण रूप से पालन करूँगा तथा मेरे द्वारा लगाये गये सभी प्रतिनिधियों की मजदूरी का भुगतान समय-समय पर निर्धारित दैनिक मजदूरी की दर से करूँगा।

यह मेरे/हमारे संज्ञान में भली-भाँति से है कि आपके द्वारा उपरोक्त कार्य हेतु प्राप्त निविदाओं में आप न्यूनतम अथवा किसी अन्य निविदाओं को स्वीकार करने हेतु बाध्य नहीं है एवं सक्षम अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय मुझे/हमें मान्य है। अनुबन्ध की अवधि समाप्त होने के उपरान्त मेरा व मेरे द्वारा लगाये गये प्रतिनिधियों का इस संस्थान से जॉब कोन्ट्रैक्ट के अलावा कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा और न ही मैं किसी प्रकार का संस्थान के खिलाफ कोई कार्यवाही करूँगा।

दिनांक \_\_\_\_\_

हस्ताक्षर ठेकेदार/फर्म प्रतिनिधि मय सील

पूरा पता

टेलीफोन/मोबाईल नं.

बैंक खाता नं.

**संस्थान के पशु शरीरक्रिया एवं जीव रसायन विभाग के अन्तर्गत सेक्टर नम्बर 9 व कच्चा बन्धा, पशु पोषण विभाग के अन्तर्गत सेक्टर 10 (कच्चा बन्धा) व पशु स्वास्थ्य विभाग की प्रयोगात्मक भेड़ों/भेड़ों को चराने, सुरक्षा, देखभाल एवं प्रयोगात्मक कार्य में सहायता आदि कार्य को वार्षिक अनुबन्ध के आधार पर करवाने की नियम व शर्तें**

- निविदा प्रपत्र इस संस्थान द्वारा जारी प्रदत्त प्रपत्र/संस्थान की वेबसाइट से डाउनलोड किये गये प्रपत्र पर ही स्वीकार किये जायेंगे (जो कि प्रपत्र सूचि में दर्शाया गया है)। निविदा संस्थान के निदेशक महोदय के नाम क्रय अनुभाग में दिनांक **20.03.2014** तक समय **1.00 बजे (दोपहर बाद) तक प्रस्तुत करना है।** सशर्त अथवा ईमेल द्वारा भेजे गये तथा देशी से प्राप्त निविदाओं को स्वीकार नहीं की जावेगी। ठेकेदार के पास पेन कार्ड अथवा श्रम विभाग से पंजीकृत होने का प्रमाण पत्र होना आवश्यक है तथा इसकी फोटोप्रति निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है, संलग्न नहीं करने पर निविदा स्वतः निरस्त मानी जावेगी। निविदाएँ उसी दिन दोपहर बाद 3.00 बजे निविदादाताओं के समक्ष खोली जावेगी।
- ठेकेदार को निविदा के साथ 1000/- रुपये निविदा शुल्क (नॉन रिफण्डेबल) एवं 25000.00 (पच्चीस हजार) रुपये मात्र नकद अथवा का डिमाण्ड ड्राफ्ट जो कि आईसीएआर यूनिट सीएसडब्ल्यूआरआई अविकानगर, मालपुरा (ICAR Unit CSWRI, Avikanagar, Malpura) के नाम से देय हो अमानत राशि के रूप में प्राप्त की जावेगी। बिना अमानत राशि के निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी। सफल ठेकेदार को कार्य आदेश प्राप्त करने से पूर्व नियमानुसार जमानत राशि 10 प्रतिशत जमा करानी होगी उसके उपरान्त ही कार्यदेश जारी किया जावेगा। साथ ही पेट्टी ठेका मान्य नहीं होगा।
- कार्य को अनुबन्ध पर करने के लिये उचित व न्यूनतम दर ही स्वीकार की जावेगी यदि आवश्यक हुआ तो दर के बारे में आपसी बातचीत भी की जा सकती है। निविदा भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम श्रमिक दर को पूर्ण नहीं करेगा तो उसे निरस्त समझा जावेगा।
- अनुबन्ध की अवधि दिनांक 01-04-2014 से 31-03-2015 तक रहेगी। कार्य सन्तोषजनक व समय पर पूर्ण होने पर यदि आवश्यक हुआ तो संस्थान द्वारा अनुबन्ध की अवधि आपसी सहमति से वर्तमान दर, नियम व शर्तों पर आगे भी बढ़ाई जा सकती है। कार्य सन्तोषजनक नहीं रहने पर अनुबन्ध को समय से पूर्व ही बिना सूचना के रद्द किया जा सकता है।
- सैक्टर के अन्तर्गत सभी जानवरों की सुरक्षा की जिम्मेदारी ठेकेदार/अनुबन्धकर्ता की होगी साथ ही सैक्टर पर स्थित/रखी हुई संस्थान की स्थायी एवं अस्थायी सम्पत्ति की सुरक्षा की भी पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार/अनुबन्धकर्ता की होगी। सैक्टर पर कुल भेड़ों/भेड़ों की अनुमानित संख्या सेक्टर 9 पर 500 जानवर, सेक्टर 10 पर 300 जानवर एवं पशु स्वास्थ्य विभाग के 200 जानवर तथा कुल लगभग 1000 जानवर होंगे जो कि संस्थान की आवश्यकतानुसार समय-समय पर कम या अधिक हो सकते हैं।
- सैक्टर पर ठेकेदार/अनुबन्धकर्ता द्वारा एक सुनिश्चित योग्य स्थायी एवं अनुभवी मुखिया उपलब्ध कराना होगा ताकि उसे सैक्टर पर भेड़ों/भेड़ों के कार्य में लगे श्रमिकों की जिम्मेदारी दी जा सके एवं रोजाना के कार्य भी बताए जा सके।
- सैक्टर के आस-पास एवं सैक्टर से सम्बंधित चारागाह क्षेत्र में आवारा पशु नहीं होने चाहिए अन्यथा जुर्माना पचास रुपये प्रति जानवर अनुबन्धकर्ता के बिल से काटा जायेगा।
- जानवरों की चराई का काम निम्नलिखित समयानुसार होगा:-

(1) माह अप्रैल से अगस्त तक	प्रातः 6-30 बजे से सायं 6-30 बजे तक
(2) माह मार्च एवं सितम्बर	प्रातः 7-30 बजे से सायं 6-00 बजे तक
(3) माह अक्टूबर से फरवरी तक	प्रातः 8-00 बजे से सायं 6-00 बजे तक
- जानवरों को सैक्टर पर केवल आंधी, तूफान, अत्यधिक सर्दी, अधिक वर्षा, खराब मौसम होने व सैक्टर से सम्बंधित आवश्यक कार्यों के लिये प्रभारी, सेक्टर/प्रतिनिधि के आदेशानुसार लाना होगा।
- जानवरों को सिर्फ संस्थान परिसर में निर्धारित चरागाह क्षेत्र में ही चराना होगा। जानवरों को संस्थान के चरागाह क्षेत्र के अलावा अन्य चरागाह में बिना सक्षम अधिकारी/प्रभारी अधिकारी या उनके प्रतिनिधि की अनुमति के नहीं ले जाया जायेगा। जंगली जानवरों से बचाव के लिए रेवड़ के साथ अतिरिक्त आदमी लगाने होंगे।
- किसी भी जानवर के बीमार होते ही उसकी सूचना तत्काल प्रभारी, सेक्टर/प्रतिनिधि को देनी होगी। यदि अनुबन्धकर्ता के आदमियों की असावधानी से या बिमारी की सूचना समय पर न देने से जानवर की मृत्यु हो जाती है तो उसकी जिम्मेदारी अनुबन्धकर्ता की होगी। उसका हर्जाना जो भी किताबी कीमत होगी भरना पड़ेगा। भेड़ों/भेड़ों की चराई संतोषजनक न होने पर एवं उनके वजन घटने पर अनुबन्धकर्ता के भुगतान के बिल में से वजन के अनुपात में कटौती की जायेगी।
- जानवरों को जंगल में होने वाली अचानक हिंसात्मक समस्या या घटना को रोकने के लिये अनुबन्धकर्ता को चराई एवं देखभाल आदि कार्य हेतु कुशल, अनुभवी, शारीरिक रूप से हष्ट-पुष्ट एवं मानसिकरूप से स्वस्थ श्रमिक जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक तथा 60 वर्ष से कम हो को लगाना होगा, साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि ग्वाले जानवरों को चराते समय सतर्क रहें।
- चराई के बाद जानवरों को प्रभारी, सेक्टर/प्रतिनिधि द्वारा निर्धारित किये गये स्थान पर रखना होगा एवं उनकी रखवाली/चोकीदारों की व्यवस्था भी करनी होगी। संस्थान की आवश्यकतानुसार किसी भी सेक्टर के जानवरों को दिन में चराई के बाद रात्रि के समय निर्धारित स्थान के अतिरिक्त दूसरे स्थान पर भी रखे जा सकते हैं तथा उनकी रखवाली व्यवस्था भी अनुबन्धकर्ता को ही करनी होगी।
- सैक्टर पर स्थित भेड़ों/भेड़ों/मैमनों की जंगली जानवरों से सुरक्षा करनी होगी तथा भेड़ों/भेड़ों/मैमनों के खो जाने या चोरी हो जाने की जिम्मेदारी स्वयं अनुबन्धकर्ता की होगी। जंगली जानवरों द्वारा भेड़ों/भेड़ों का शिकार हो जाने पर, सूचना उपरान्त, विभागीय/स्वीकृत समिति की जांच के बाद उनकी अनुशंसा पर भेड़ों/भेड़ों की किताबी कीमत (बुक वेल्यू) की कटौती, चरवाहे की लापरवाही/सतर्कता व बचाव प्रयास पर निर्भर होगी। चारागाह क्षेत्र में जंगली जानवरों द्वारा भेड़ों/भेड़ों के मारे जाने पर प्रथम पांच जानवरों की किताबी कीमत तदुपरान्त अगले पांच जानवरों की दोगुनी तथा उसके बाद तीन गुनी किताबी कीमत वसूली जावेगी। खोने/चोरी हो जाने की स्थिति में जानवरों की किताबी कीमत का तीन से पांच गुना हर्जाना भरना पड़ेगा, तथा इस हर्जाने की राशि को 15 दिन की निश्चित अवधि में जमा कराना होगा अन्यथा यह राशि को उनके देय बिल में से काट ली जायेगी।
- किसी भी भेड़/भेड़ा/मैमने की मृत्यु होने पर उसकी सूचना तुरन्त प्रभारी, सेक्टर को देनी होगी ताकि उसके पोस्टमार्टम/चौरफाड आदि की व्यवस्था समय पर की जा सके। चरागाह/सेक्टर पर मृत जानवर को गाड़ी में डालने की व्यवस्था भी स्वयं अनुबन्धकर्ता को ही करनी होगी। किसी कारणवश गाड़ी उपलब्ध नहीं होने पर मृत जानवर को पोस्टमार्टम के लिये स्वयं के साधन पर लाद कर पहुँचाना होगा।

- (क) जानवरों का उपचार करते समय जानवरों को पकड़ने के लिए जरूरी सहायता भी अनुबन्धकर्ता को देनी होगी। भेड़ों में लगाये गये श्रमिक तथा चरवाहे कम से कम बदले जावेंगे। हर रोज बदला हुआ श्रमिक स्वीकार्य नहीं होगा।
- (ख) यदि प्रयोगात्मक कार्य किया जाता है उस समय अलग-2 प्रयोगात्मक कार्य के लिये अलग व्यक्तियों की व्यवस्था अनुबन्धकर्ता को करनी पड़ेगी जो कि सामान्य दैनिक कार्यों से अलग होगी।
18. सैक्टर पर स्थित भेड़ों/मेढ़ों के साथ कोई अन्य निजी जानवर नहीं रख सकेंगे।
19. भेड़ों के ब्याते ही उसकी सूचना तुरन्त प्रभारी, सेक्टर/प्रतिनिधि को देनी होगी एवं भेड़ एवं उसके बच्चे को सेक्टर पर लाना होगा।
20. भेड़ों/मेढ़ों को चरागाह क्षेत्र में चराने के साथ-2 समयानुसार पेड़ों की छगाई करके पत्तियां भी खिलानी होगी। पेड़ों की छगाई उचित रूप (वैज्ञानिक तरीके) से करनी होगी तथा जब कभी जानवरों को दाना/चारा आदि देना हो तो यह कार्य भी अनुबन्धकर्ता को अपने श्रमिकों के द्वारा ही डलवाना होगा। दाना व चारा संस्थान द्वारा उपलब्ध करवाया जावेगा।
21. सैक्टर पर आपूर्तित चारे की सुरक्षा तथा व्यवस्थित रूप से सुरक्षित रखना सुनिश्चित करना होगा।
22. मादा रेवड को नर के रेवड से अलग चराना एवं रखना होगा। भेड़ों को चराने की व्यवस्था सक्षम अधिकारी/प्रभारी सेक्टर के दिशानिर्देशानुसार एवं निम्न प्रकार से करनी होगी:-
- (क) प्रत्येक सेक्टर के जानवरों को सम्बन्धित सेक्टर पर ही रखना होगा।
- (ख) मेंमनों/बच्चों के रेवड 3 माह से 18 माह तक के नर एवं मादा को भी अलग-2 चराना होगा।
- (ग) **भेड़ों/मेढ़ों के रेवड निम्न प्रकार होंगे:-**
- (अ) ब्याई हुई भेड़ें (ब) ग्याबिन भेड़ें (स) बिना ब्याई भेड़ें (द) कमजोर व बीमार (आवश्यकतानुसार) (य) नर रेवड
- (र) दुम्भा नरुल के नर व मादाओं की सेक्टर पर ही देखरेख व खिलाई-पिलाई करनी होगी तथा इन्हें अन्य रेवडों से अलग रखना होगा।
- (घ) किसी भी रेवड में 125 सें अधिक जानवर होने पर दो आदमी/श्रमिक उपलब्ध करवाने होंगे। ब्याई हुई भेड़ों के किसी भी रेवड में अधिकतम संख्या 100 तक ही रखनी होगी।
- (च) किसी भी हालत में नर रेवड को मादा रेवड में नहीं मिलाया जायेगा। यदि नाजायज मेंमना/बच्चा पैदा होता है तो उसका जुर्माना 1 से 5 बच्चों तक की राशि रु. 300/-प्रति बच्चा, 6 से 10 मेंमनों/बच्चों तक की राशि रु. 500 प्रति मेंमनों/बच्चा तथा 10 से अधिक बच्चों पर 800/-रु प्रति बच्चों के हिसाब से जुर्माना देय होगा। नाजायज जुडवा बच्चे पैदा होने पर जुर्माना की राशि सिर्फ एक बच्चे के बराबर ही वसूल की जायेगी। साथ ही नाजायज बच्चों को चराने एवं रख-रखाव का खर्चा 3 माह तक नहीं दिया जावेगा लेकिन अर्थदण्ड उपरोक्तानुसार रहेगा। अनुबन्ध परिवर्तन होने की स्थिति में नये अनुबन्धकर्ता को मेंमनों/जानवरों को 3 माह तक चराने का खर्चा नाजायज बच्चों के पैदा होने के जिम्मेदार अनुबन्धकर्ता से वसूला जाएगा।
- (छ) रेवडों की चराई के लिये लगाये गये आदमियों से सेक्टर के अन्य रोजमर्रा के कार्य नहीं लिए जायेंगे। दूसरे कार्यों के लिए अलग से आदमी लगाने होंगे।
23. भेड़ों/मेढ़ों/मेंमनों के बाड़ों/ट्रफों की नियमित रूप से सफाई करनी होगी, खाद व कचरे को बताये अनुसार निर्धारित स्थान पर डालना होगा तथा पानी की खेलियों/ट्रफों की भी नियमित रूप से सफाई करनी होगी।
24. निम्नलिखित कार्यों के लिये अतिरिक्त श्रमिकों/मजदूरों की व्यवस्था भी अनुबन्धकर्ता को करनी है:-
- (1) बीमार जानवरों के ईलाज व देखभाल/टीका लगाना, ड्रेसिंग करवाना एवं सैक्टर पर बीमार जानवरों के लिये दाना व पानी का अलग से प्रबन्ध करना होगा।
- (2) भेड़ों/मेढ़ों को साल में दो बार दवा के पानी से स्नान करवाना होगा। ऊन कल्पन से पहले साफ पानी से नहलाना तथा उक्त कार्य के लिये डिपिंग टैंक को उपयोग में लाने से पूर्व एवं उसके बाद भी साफ करना होगा। जानवरों को नहलाते समय लापरवाहीवश यदि किसी जानवर की मृत्यु हो जाती है तो उसके लिये अनुबन्धकर्ता स्वयं जिम्मेदार होगा तथा इसके लिए उपरोक्त (निर्धारित) हर्जाना वसूल किया जावेगा।
- (3) आवश्यकतानुसार भेड़ों/मेढ़ों के मेंमनों/बच्चों का वजन करवाना, ऊन कल्पन के दौरान जानवरों को सेड में पहुँचाना, जांच के लिये जानवरों के रक्त के नमूने लेने के दौरान तथा खुरों एवं उनके बाल काटना, साथ ही संक्रमण से बचाने के लिये नियमित सफाई एवं सक्षम अधिकारी/प्रभारी, सेक्टर के निर्देशानुसार जानवरों के शरीर से बाल काटना होगा।
- (4) भेड़ों के मदकाल की जांच के लिये सुबह व शाम को मेढ़ों को सक्षम अधिकारी/प्रभारी सेक्टर के निर्देशानुसार रेवड में छोड़ना होगा। मद में आई भेड़ों को अलग करना तथा सही प्रजनन के बाद गर्भित भेड़ों को अलग करना होगा। नवजात मेंमनों/बच्चों की देखभाल करना, टेग लगवाना, पूँछ कटवाना, खूर कटवाना तथा गोदने के कार्य में भी सहायता करना/ करवाना होगा।
- (5) दाने को ट्रौली में भरकर सैक्टर पर खाली करना, भेड़ों/मेढ़ों के लिये चारे के सेड से चारा बाड़े में लाना आदि। ब्याई हुई भेड़ों के बाड़े में चारा/घास की व्यवस्था करनी होगी। नया चारा डालने से पहले बताये अनुसार चारे के सेड की सफाई करनी होगी। अनाथ बच्चों व उन बच्चों को जिन्हें उनकी मां दूध नहीं पिलाती है उनकी विशेष देखभाल करनी होगी।
- (6) वर्ष में कम से कम दो बार भेड़ों के सभी बाड़ों के अन्दर एवं बाहर कम से कम 6 इन्च मिट्टी की खुदाई करके मिट्टी को प्रभारी, सेक्टर द्वारा बताये जाने वाले स्थान पर बाहर डालना होगा तथा कीटाणु रहित नई मिट्टी डालनी होगी। बाड़ों में ट्रेक्टर द्वारा मिट्टी डालते समय बाड़ों में लगी हुई चैनलिक फॉन्सिंग को कोई नुकसान नहीं होना चाहिये यदि किसी तरह का नुकसान होता है तो उस नुकसान की भरपाई अनुबन्धकर्ता के देय बिल में से की जायेगी जिसके लिये अनुबन्धकर्ता स्वयं जिम्मेदार होगा।
- (7) पशु शरीरक्रिया एवं जीव रसायन विभाग के प्रयोगशाला के कार्य जैसे दूरबीन विधि द्वारा कृत्रिम गर्भाधान कराना, शल्यक्रिया द्वारा भ्रूण स्थानान्तरण करवाना, वीर्य परीक्षण/ऑपरेशन/शल्यक्रिया के बाद भेड़ों की देखभाल करना एवं अनुकूल देहिकी एवं अन्य संबंधित कार्य में भी सहयोग करना होगा।
- (8) पशु शरीरक्रिया एवं जीव रसायन विभाग में प्रयोजित होने वाले विभिन्न प्रयोगात्मक कार्य जैसे शरीर क्रियात्मक गतिविधि स्ट्रेट फिजोलॉजी, मद समकालन, वीर्य हीमिकरण एवं अन्य सम्बन्धित प्रयोगात्मक कार्यों में भी ठेकेदार को सहायता करनी होगी।

- (9) भेड़ों के प्रयोगात्मक कार्यों के लिये अलग से सम्बन्धित प्रयोगशाला के लिये नियमितरूप से तीन प्रतिनिधि उपलब्ध कराने होंगे जैसे दूरबीन विधि द्वारा कृत्रिम गर्भाधान कराना, शल्य क्रिया द्वारा भ्रूण स्थानान्तरण करवाना, वीर्य परीक्षण/शल्यक्रिया के बाद भेड़ों की देखभाल करना एवं अनुकूल देहिकी आदि के लिये।
  - (10) कच्चा बन्धा स्थित भेड़ों के बाड़े पर चराई, देखभाल एवं रात्रि सुरक्षा के लिये विभागाध्यक्ष/अधिकृत अधिकारी के निर्देशानुसार अलग से प्रतिनिधि उपलब्ध करवाने होंगे।
  - (11) पशु पोषण विभाग के अन्तर्गत कच्चा बन्धा सेक्टर 10 पर होने वाली पशु ट्रायल के लिये अनुबन्धकर्ता को ट्रायल के दौरान होने वाले कार्यों जैसे मैंगनी, मूत्र, चारे एवं दाने के नमूने एकत्रित करने, जानवरों को समय-समय पर पानी पिलाना, दाना-चारा डालने का कार्य, ट्रायल के बाड़े एवं पिंजरे की साफ-सफाई इत्यादि कार्यों के अतिरिक्त एकत्रित किये गये नमूनों को आगे की कार्यवाही हेतु प्रयोगशाला में सहायता के लिये अलग से प्रतिनिधि उपलब्ध करवाना होगा।
  - (12) पशु पोषण विभाग के अन्तर्गत प्रयोगात्मक कार्यों हेतु प्रयोग की संख्या के अनुसार प्रत्येक प्रयोग हेतु एक प्रतिनिधि की व्यवस्था करनी होगी जो कि सेक्टर पर लगे प्रतिनिधियों के अतिरिक्त होंगे। प्रयोग कार्य में लगाये गये प्रतिनिधि प्रभारी, प्रयोग कार्य के बताये अनुसार कार्य करेंगे।
  - (13) कच्चा बन्धा सेक्टर 10 पर सेक्टर के अन्दर एवं बाहर (लगभग 20 फीट) चारों तरफ साफ-सफाई का कार्य जैसे अवांछित चारे एवं अन्य कचरे की साफ-सफाई, कार्यालय एवं लैब इत्यादि की सफाई का कार्य नियमित रूप से करना होगा।
  - (14) पशु स्वास्थ्य विभाग के पशुओं की देखभाल, तुलाई, बाड़े की साफ-सफाई, दिन-रात पशुओं की निगरानी व देखभाल करना व समय-समय पर जानवरों के नमूनों (मल, मूत्र एवं रक्त) को एकत्रित करने में सहायता करना।
25. अनुबन्ध की अवधि के दौरान सेक्टर पर स्थित पेड़-पौधों की देखरेख करनी होगी एवं उनको पानी पिलाना होगा।
  26. सैक्टर पर जानवरों को आंधी, तूफान, वर्षा व अधिक सर्दी से बचाव के लिये प्रभारी सैक्टर या उनके प्रतिनिधि के निर्देशानुसार बन्दोबस्त करना होगा।
  27. उक्त कार्य के लिये अनुबन्धकर्ता द्वारा प्रतिनिधि का समय पर प्रबन्ध नहीं होने पर उस कार्य के लिये सक्षम अधिकारी/प्रभारी अधिकारी द्वारा लगाये जाने वाले श्रमिकों के वेतन/मजदूरी का भुगतान अनुबन्धकर्ता को करना होगा यदि संस्थान द्वारा नियमित कर्मचारी/मजदूर लगाया जाता है तो उस कर्मचारी/मजदूर के उस दिन का वेतन के बराबर राशि की कटौती भी अनुबन्धकर्ता के देय बिल में से की जायेगी।
  28. अनुबन्धकर्ता एवं उनके प्रतिनिधियों द्वारा संस्थान के कर्मचारियों/अधिकारियों के साथ शिष्टता का व्यवहार करना होगा।
  29. अनुबन्धकर्ता या उसके प्रतिनिधि/मजदूरों द्वारा संस्थान की सम्पत्ति को किसी भी प्रकार के नुकसान से बचाना होगा यदि नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेदारी स्वयं अनुबन्धकर्ता की होगी। अनुबन्ध की अवधि में किसी श्रमिक को लगाया या हटाया जाता है तो उसकी पूर्ण जानकारी या सूचना प्रभारी सैक्टर को देनी होगी।
  30. सेक्टर से सम्बन्धित सभी कार्य प्रभारी सैक्टर/उनके प्रतिनिधि के निर्देशानुसार करना होगा।
  31. श्रमिकों के बारे में निर्धारित रजिस्टर/मस्टरोल आदि का रख-रखाव स्वयं ठेकेदार को करना होगा तथा लगाये गये श्रमिकों का GPF/PF/ESI इत्यादि यदि नियमानुसार देय होता है तो ठेकेदार द्वारा स्वयं के देय बिल राशि से देना होगा। संस्थान द्वारा इस विषय में कोई भी अलग से भुगतान का दावा स्वीकार नहीं करेगा। इस प्रकार का निस्तारण ठेकेदार स्वयं अपने स्तर पर करेगा।
  32. संबंधित वित्तीय वर्ष में या समय-समय पर होने वाले संशोधन के अनुसार ठेकेदार के देय मासिक बिल में से नियमानुसार सेवाकर/आयकर (Service Tax/Income Tax) एवं उस पर लगने वाले सरचार्जज राशि की भी कटौती की जावेगी।
  33. अनुबन्ध की अवधि में सम्बन्धित सैक्टर के पत्र/डाक आदि कार्यालय में पहुँचाने के व्यवस्था भी अनुबन्धकर्ता को करनी होगी।
  34. आकस्मिक अवस्था में आवश्यकतानुसार किसी भी अनुबन्धकर्ता को अन्य सेक्टरों का कार्य निर्धारित दरों पर दिया जा सकता है।
  35. भेड़ों/मेढ़ों को चराने, सुरक्षा एवं उनकी देखभाल से सम्बन्धित कार्य के अनुबन्ध के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाने पर अनुबन्धकर्ता/उनके प्रतिनिधि स्वयं जिम्मेदार होंगे तथा सभी प्रकार की कानूनी कार्यवाही अपने स्तर पर स्वयं के खर्च पर करनी होगी। संस्थान द्वारा किसी भी प्रकार की सहायता क्षतिपूर्ति राशि नहीं दी जावेगी।
  36. ठेकेदार/प्रतिनिधि को बताये गये सभी कार्य समय पर पूर्ण करने होंगे कार्य अपूर्ण या समय से पूर्व छोड़ने पर या संतोषजनक नहीं होने पर संस्थान के सक्षम अधिकारी द्वारा अनुबन्ध को निरस्त किया जा सकता है जिसकी समस्त जिम्मेदारी अनुबन्धकर्ता की स्वयं की होगी।
  37. ठेकेदार/प्रतिनिधि द्वारा कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता/गैर जिम्मेदारी/अवज्ञा की गई तो ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले बिल में से राशि की कटौती की जावेगी साथ ही अनुबन्ध को निरस्त करते हुये अमानत/जमानत राशि जब्त करली जावेगी।
  38. ठेकेदार/प्रतिनिधि द्वारा अनुबन्ध की अवधि में संस्थान में किसी प्रकार की चौराई/क्षति पहुँचाई जाती है तो उसकी वसूली स्वयं ठेकेदार को नकद करनी होगी अन्यथा उनके देये बिल से काट ली जावेगी और अनुबन्ध निरस्त कर अमानत व जमानत राशि जब्त कर ली जावेगी।
  39. कार्य के बिल का भुगतान प्रत्येक माह ठेकेदार द्वारा बिल तीन प्रतियों में पूर्व प्राप्ति रसीद के साथ प्रस्तुत करने पर निश्चित समय अवधि 30-45 दिन में किया जावेगा।
  40. ठेकेदार को अनुबन्ध की अवधि में भारत सरकार के प्रचलित श्रमिक कानूनों का पालन करना होगा। भारत सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत समय-2 पर निर्धारित दर से भुगतान करना होगा। श्रमिक को भुगतान करने की जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी। यदि भुगतान से सम्बन्धित किसी भी श्रमिक द्वारा कोई वाद/क्लेम प्रस्तुत करने पर माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई राशि का पूर्ण भुगतान करने की जिम्मेदारी भी स्वयं ठेकेदार की होगी। साथ ही बाल श्रमिक कानून का पूर्ण पालन करना होगा।
  41. ठेकेदार द्वारा जिन प्रतिनिधियों को अनुबन्ध कार्य हेतु नियुक्त किया जावेगा उनका परिचय-पत्र ठेकेदार द्वारा स्वयं बनाकर फोटोयुक्त परिचय-पत्र अधिकृत अधिकारी (सुरक्षा अनुभाग) से जारी करवाकर पशु पोषण विभाग, पशु शरीरक्रिया एवं जीव रसायन विभाग एवं पशु स्वास्थ्य विभाग में प्रस्तुत करना होगा। परिचय-पत्र का व्यय स्वयं ठेकेदार को वहन करना होगा। प्रतिनिधियों को फोटो पहचान-पत्र आवश्यक होगा। साथ ही प्रतिनिधियों का नाम, पता व मोबाईल नम्बर इत्यादि प्रभारी को उपलब्ध कराना होगा।
  42. आप द्वारा जमा करवाई गई जमानत राशि अनुबन्ध कार्य सन्तोषजनक पूरा होने के उपरान्त 6 माह बाद वापिस देय होगी। यदि अनुबन्ध के दौरान आपका कार्य किसी भी प्रकार से असन्तोषजनक पाया गया तो आप द्वारा जमा करवाई गई जमानत राशि को जब्त कर लिया जावेगा।
  43. श्रमिक नियमों के अनुसार समस्त अभिलेख ठेकेदार को तैयार कराना होगा तथा किसी भी अधिकारी द्वारा माँगने पर प्रस्तुत करना होगा।
  44. सभी विवादों को निपटाने का क्षेत्राधिकार अतिकानगर, मालपुरा होगा। किसी भी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में अन्तिम निर्णय देने का



अधिकार निदेशक केन्द्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर, तहसील मालपुरा, जिला टोंक, राजस्थान को होगा। जिसे ठेकेदार द्वारा मान्य होगा।

45. यह कार्य केवल अनुबन्ध की प्रकृति (जॉब कोन्ट्रैक्ट के आधार पर) के लिये ही माना जावेगा। ठेके की अवधि व उसके उपरान्त ठेकेदार अथवा उसके प्रतिनिधि का जॉब कोन्ट्रैक्ट कार्य के अतिरिक्त संस्थान से कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा।
46. संस्थान के सक्षम अधिकारी को बिना कोई कारण बताये किसी भी समय जारी अनुबन्ध आदेश को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है।
47. सफल ठेकेदार को 100/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर कार्य को अनुबन्ध पर करने के लिये एग्रीमेन्ट देना होगा, जिसका प्रारूप क्रय अनुभाग से प्राप्त करना होगा।
48. संस्थान के सक्षम अधिकारी महोदय को बिना कोई कारण बताये किसी भी एक/सभी निविदाओं को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है।
49. यह सूचना इस संस्थान की वेबसाईट [www.cswri.res.in](http://www.cswri.res.in) पर उपलब्ध है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि मेने निविदा प्रपत्र में दर्शायी गई सभी शर्तें भली प्रकार से पढ़ली है तथा मुझे स्वीकार्य है। मैं संलग्न निविदा प्रपत्र में दर्शायी गई दरों पर संस्थान के पशु शरीरक्रिया एवं जीव रसायन विभाग के अन्तर्गत सेक्टर नम्बर 9 व कच्चा बन्धा, पशु पोषण विभाग के अन्तर्गत सेक्टर 10 (कच्चा बन्धा) एवं पशु स्वास्थ्य विभाग की प्रयोगात्मक भेड़ों/मेढों/मेमनों को चराने, सुरक्षा, देखभाल एवं प्रयोगात्मक कार्य में सहायता आदि से संबंधित कार्य को अनुबन्ध/जॉब कोन्ट्रैक्ट के आधार पर करने हेतु सहमत हूँ।

हस्ताक्षर निविदादाता

निविदादाता का पता

माबाईल नं.

- संलग्नक :
1. श्रम विभाग से पंजीकृत होने कि प्रतिलिपि।
  2. पेन कार्ड की प्रतिलिपि।
  3. 1000/- रुपये नकद अथवा डिमान्ड ड्राफ्ट (नॉन रिफण्डेबल)।
  4. 25,000/- रुपये का डिमान्ड ड्राफ्ट।
  5. अनुभव प्रमाण पत्र यदि कोई हो तो।

## SCHEDULE TO TENDER

Date & Time of Receipt of Tender : 20.03.2014 at PM 1.00 PM  
Date & Time of Opening of Tender : 20.03.2014 at PM 3.00 PM  
The tender shall remain open for  
Acceptance till : 120 days from the date of opening

Item No.	Description of goods	Specification No or Sealed Pattern	Number or Quantity	Unit Price	Station of dispatch

(The special instruction of conditions of contract applicable to this tender are attached to this schedule).

-----

1. Purchaser : The Director, Central Sheep & Wool Research Institute, Avikanagar (Malpura) Distt. Tonk (Rajasthan ) 304 501
2. Store are required by (date to be indicated) : Immediately
3. Consignee : Central Sheep & Wool Research Institute, Avikanagar Tehsil Malpura Distt. Tonk (Raj.)
4. The tenderers must quote clear delivery terms indicating FOB&CIF basis for imported stores and FOR station dispatch for indigenous/Ex-stock deliveries as applicable. Incomplete tenders are liable to be ignored.
5. Tenderers are bound to accept order for additional quantity at the rate quoted only if order is placed on them within one year from the date of issue of acceptance of tender.
6. In case the tenderer wants to furnish in a separate covering letter any additional information/particulars of quoted conditions (e.g. those relating to allowance, discount and rebate etc), which cannot be accommodated in the tender form by means of a note. Indication to the effect must be mention in the tender from, in the absence of such indication in the tender form the contents of the covering letter will be ignored in consideration of tender.
7. Firm should not that it is desired that their offer should remain open for acceptance for 120 days from the date of opening the tender. If the firms are unable to keep their offers open for the specified period they should specifically state in the tenders to remain open for acceptance for the period as specified in the schedule to Tender.
8. The rates for the items required in accordance to the specifications mentioned in the tenders will only be considered otherwise the same will be rejected.
9. The rates should be quoted F.O.R. Institute's Godown (and not premises) inclusive of all charges but exclusive of Sales Tax, if any.
10. The tenderer should also submit along with their tender. Income Tax and Sales Tax clearance certificate (duty countersigned by Income Tax Officer and Commercial Taxation Officer of the circle concerned under the seal of his office and also indicate the name and full address of their Banker).
11. The supply of the items will have to be completed within 30 days from the receipt of the acceptance of tender failing which it will be presumed that the tenderer is not interested in the supply and the order will automatically stand cancelled and security money deposited will be forfeited.

12. A sample of the item should be first got approved before supply of the entire quantity.
13. The firm in whose favour the tender is accepted will have to deposit an amount equal to 10% of the value of contract as Security Deposit and will have to sign an agreement before execution of work. The Security Deposit will be refunded after satisfactory supply and on the expiry of period of six month after warranty/completion of work. In case of imported items., L.C. will generally be opened on 90% of FOB value and balance 10% will be paid in Indian Rupees. The Indian agent should be registered with the DGS&D and copy of registration should be enclosed along with tenders.
14. The rates accepted will remain valid for a period of one year from the date of acceptance unless it is extended or discontinued in writing.

**TENDERERS MUST GIVE SPECIFIC ANSWERS AGAINST EACH OF THE FOLLOWING QUESTIONS. TENDERS CONTAINING EQUIVOCAL OR EVASIVE REPLIES WILL BE IGNORED.**

15. Whether stores offered confirm to particulars quoted in the schedule? Is not, details of deviation must be stated here.
16. (i) Brand  
(ii) Name and address of the manufacturer  
(iii) Station of Manufacture  
(iv) Life span prescribed by the manufacturer of the items(s)  
(v) Guaranteed date by which delivery can be completed.  
(vi) Packing that is proposed to employee.  
Whether specification packing will be adhered to.  
(vii) Whether sample submitted.  
(viii) (a) Gross weight of consignment.  
(b) Net weight of packed items.
17. Whether you agree to the inspection clause as stipulated.
18. Stock in hand at the present time consists of:  
(a) Held by us \_\_\_\_\_.  
(b) Held by M/s \_\_\_\_\_.  
  
Over which we have secured an option.
19. Stock routed in India.
20. If the stores offered are manufactured in India? Whether all the raw materials, component etc. used in their manufacture are also produced in India. If not give details of materials, components etc. that are imported and their countries of origin. A clear breakup of the indigenous and imported component together with value and the proportion it bear to the total value of the stores should also be given:
21. Raw materials are held in stock sufficient for the manufacture of \_\_\_\_\_.
22. (i) Here state specially whether the price tendered by you is to the best of your knowledge and belief not more than the price usually charged by you for stores of the same nature, class or description to any private purchaser domestic or foreign as well as purchaser Govt., Semi Govt., Autonomous organization etc., If not state the reasons thereof and also indicate the margin of differences.  
(ii) In respect of indigenous stores for which there is a controlled price fixed by law, the price quoted shall not be higher than the controlled price. If the price quoted exceeds the controlled price, the reasons therefore shall be specifically stated.
23. Business name and constitution of tendering firm:  
Is the firm registered under  
(i) The Indian Companies Act., 1956.  
(ii) The Indian Partnership Act, 1932. (Please give the names of partners)  
(iii) Any other (Please specify):
24. Do you agree the Arbitration clause stipulated? Your acceptance or non-acceptance of this clause will not influence the decision of the tender. It should however, be noted that an omission to answer the above question will be deemed as an acceptance to this clause.

**FOR PARTNERSHIP FIRM WHETHER REGISTERED OR NOT REGISTERED UNDER INDIAN PARTNERSHIP ACT, 1932.**

Should the answer to this question by a partnership firm be in the affirmative, please state further:

25. (a) Whether by the partnership agreement, authority to refer disputes concerning the business of Partnership to arbitration has been conferred to the partner who has signed the tender?  
(b) If the answer to (a) is in the negative whether there is any general power of attorney executed by all the partners of the firm authorizing the partner who has signed the tender to refer disputes concerning business of the partnership to arbitration.  
(c) If the answer to either (a) or (b) is in the affirmative, have you already furnished a copy of either the partnership agreement or the general power of attorney as the case may be to I.C.A.R./ Institute/ Lab./ Centre/ Station. Please quote reference to the communication by which this was done.

**N.B.1.** If a copy of neither the partnership agreement nor the general power for attorney has previously been furnished to the ICAR Institute/ Lab./ Centre/ Station, please attach to tender a copy of either document on which reliance is placed for authority of partners or the partner signing the tender or refer disputes of arbitration. The copy should be attested by the **Notary Public** or it's execution should be admitted by affidavit on a properly stamped paper by all the partners.

2. Where authority to refer disputed to arbitration has not been given to the partner signing the tender, the tender must be signed by every partner of the firm.

26. FOR MANUFACTURING FIRM:

- I. What is your installed capacity?  
II. What is your working capacity?  
III. What is the existing load?  
IV. What portion of your capacity  
You prepared to reserve and allocate to this rate Contract?

27. FOR SOLE AGENTS/STOCKISTS:

- I. What is your present stock?  
II. What is the volume of orders (including Govt./Others) Pending with you at present.  
III. What is the rate of flow of stocks?  
IV. What is the rate of issue?

28. (i) What stock you will maintain at each important center in India.  
(ii) What is the time and date required for replacement of the stocks at these centers?

29. Whether Earnest Money has been deposited? If so details thereof date and amount deposited should be quoted.

Note: Clause not required in a particular tender should be scored out duly authenticated before assuring the tender documents to the intending tenderers.

30. GENERAL: Tenderers should furnish a clear declaration as following:

I/We declare that I am/We are

- (i) Manufactures  
(ii) Manufacturer's authorized agents  
(iii) Holders in stocks of the stores tendered for  
(Strike our what is not applicable)

31. CONDITIONS OF CONTRACT: Printed or cyclostyled or such terms and conditions of tendering firms not appearing in the body of the tender will not be considered as forming part of their tender. Tendering firms should quote on the basis of the conditions referred to in para I of the Invitation to Tender and Instructions to Tenderers. In case any terms and conditions of contract applicable to this Invitation to Tender are not acceptable to the tendering Firms they should specifically state deviation there from in the body of their tender.

32. DEVIATION FROM SPECIFICATION: It is in the interest of the tenderers to study the specification/drawing etc. specified in the tender schedule thoroughly before quoting so that if any deviations are made by the tenderers the same are prominently brought out in the body of their tender.

33. **PRICE:**
- A. prices must be in terms of new coinage system viz. Rupees & Paisa.
  - B. The unit prices should be for the same units indicated in the schedule to enquiry and not any other unit.
  - C. Prices quoted should be invariably for delivery FOR Station of destination or (of dispatch) in India and inclusive of charges such as packing, forwarding, custom duty, control etc. Where applicable.
  - D. Quantity discount, if any should be indicated prominently.
  - E. The FOR Station of dispatch prices shall be deemed to include free delivery to the consignee situated within municipal Corporation limits/ radius of 10 Kilometers from the firm premises in case of local delivery.
  - F. (i) Offers on firm price basis are preferred.  
(ii) Where firms cannot quote firm prices, variable prices with a ceiling are preferred.  
(iii) Where wages escalator is insisted upon due consideration is given to the offer with lowest wages escalator factor.

34. **CUSTOM DUTY & OTHER CHARGES:** The rate should be quoted on FOB basis and also CIF basis separately. The rate of custom duty in terms of percentage or exact amount must be shown for each item. The packing, forwarding, loading, unloading and other incidental charges by whatever name they may be known should be quoted/shown separately otherwise it will be presume that rate quoted are inclusive of all charges.

35. **TRANSIT INSURANCE:** The purchaser will not pay separately for transit insurance and the supplier will be responsible till the entire stores contracted arrived in good condition at destination.

The consignee shall as soon as possible but not later than 60 days of the date of arrival of stores at destination, notify the contractor of any loss or damage to the stores that may have occurred during transit.

36. **PAYMENT TERMS:** The standard terms of payment as embodied in the General Conditions of contract and or special conditions of contract will apply and no relation will be possible. The payment term on bill basis is generally accepted and the payment of contractor bill will be made within reasonable time say 30 days after receipt of material in good condition and as per specification.

37. **ADDITIONAL PARTICULARS TO BE FURNISHED BY THE TENDERER:** Tenderers shall submit along with their tenders:

- (i) An Income Tax Clearance and S.T. Certificate (duly countersigned by the Income Tax Officer of the circle concerned under the seal of his office).
- (ii) Name and full address of their Banker.
- (iii) The equipment they possess for the manufacture of the stores and quality control details.
- (iv) Copy of any other license/certificate required the law relating to concern subject.

NOTE: Tender not containing the above particulars are liable to be ignored.

38. **GUARANTEE/WARRANTY:** The tenderers shall furnish along with their quotation the under noted guarantee/warranty:-

- (i) Guarantee that they will supply parts if and when required on the agreed basis for an agreed price. The agreed basis be an agreed discount on the published catalogues or on agreed percentage of profit on the landed cost.
- (ii) Warranty to the effect that before going out of production for the spare parts they will give adequate advance notice to the purchaser of the equipment so that the later may undertake the balance of the life-time requirements.
- (iii) The warrantee to the effect that they will make available the blue prints or drawing of the spears, if any when required in connection with the main equipment.
- (iv) The Contractor or shall furnish the following warranty in case contract is placed on him.

The Contractor or seller hereby declares that the goods/stores/articles sold to the buyer under this contract shall be of the best quality (and workmanship and shall be strictly in accordance with the specifications and particulars contained/mentioned in the clause..... hereof and Contractor/Seller hereby guarantee that eh goods/stores/articles would continue to confirm to the description and quality aforesaid for the period of ..... days/months and quality aforesaid from the date of delivery of the said goods/stores/articles to the purchaser and that notwithstanding the fact that the purchaser (Inspector) may have inspected and/or approved the said goods/stores/articles.

If during the aforesaid period of ..... days/months the said goods/stores/articles be discovered not to confirm to the description and quality aforesaid or have deteriorates (and the decision of the purchaser in that behalf will be final and conclusive), the purchaser will be entitled to reject the goods/stores/articles or such portion thereof as may be discovered not be confirmed to the said description and quality. On such rejection the

goods/stores/articles will be at the seller's risk and all the provisions herein contained relating to rejection of goods, shall if so, called upon to do replace within a period of ..... Months/or such further period as may be extended from time to time by the purchaser in his discretion made here before by them on an application contractor/Seller of the goods, stores or such portion thereof as of rejected by the purchaser and in such an event the above mentioned warranty period shall apply to the goods/stores articles replaced from the date of replacement thereof otherwise the contractor /seller shall pay to the purchase such damage as may arise by reason of the breach of the conditions herein contained. Nothing herein contained shall prejudice any other right of the purchaser in the behalf under this contract otherwise.

39. JURISDICTION: All question, disputes or differences under, out of or in connection with the contract, if concluded shall be subject to the exclusive jurisdiction of the Court within the local limits of whole jurisdiction the place from which the acceptance of tender is issued is situated.

**Signature of Tenderer  
& Address**

**CENTRAL SHEEP & WOOL RESEARCH INSTITUTE  
AVIKANAGAR TEHSIL MALPURA DISTT. TONK (RAJ.)**

**CHALLAN FOR REFUND OF EARNEST/SECURITY MONEY CUM PRE-RECEIPT**

Sl.No.	Amount of deposit	CM No./TR5 (GAR) No./FDR/call deposit receipt/ DD No./ STDR No. and date	Purpose for which deposited

Received a sum of Rs. \_\_\_\_\_ (Rupees \_\_\_\_\_ only)  
as a refund of Earnest/Security Money deposited with you.

SIGNATURE OF DEPOSITOR  
Climbing Refund along with  
**A revenue stamp**

Name .....

Address .....

.....